राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
(E mail :DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel. 2227033)

क्रमांक: एफ.61(110) SSAAT / Conc. SA Calendar /20–21/2018 जयपुर दिनांक: 09-12-2020

(आदेश संख्या 11. / 2020)

जिला कलक्टर एवं

जिला कार्यक्रम समन्वयक (ई.जी.एस.),

समस्त।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) कराये जाने संबंधी दिशा निर्देश।

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 17 एवं इसके तहत लेखा परीक्षा नियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संचालित समस्त कार्यों का ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण कराया जाने का प्रावधान है।

कोविड–19 वैश्विक महामारी की परिस्थितियों को देखते हुए ग्राम सभाओं का आयोजन पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ 15(17)पंरावि/विधि/विशेष ग्राम सभा/2020/3585 दिनांक 15.03.2020 द्वारा स्थगित कर दिया है। इसलिए महात्मा गांधी नरेगा एक्ट 2020 की अनुसूची 1 के पैरा 25 बी के प्रावधानानुसार सभी कार्यों का समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) प्रति माह कराये जाने के दिशा निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए है।

राज्य स्तर पर नवगठित सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का गठन किया जा चुका है। राज्य स्तर पर यह संस्था सामाजिक अंकेक्षण बाबत् समस्त कार्यो एवं गतिविधियों के समन्वय एवं नियन्त्रण के लिए उत्तरदायी है।

चूंकि कोविड–19 वैश्विक महामारी के चलते ग्राम सभा आयोजन की रोक के कारण समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण का प्रभावी रूप से समयबद्ध आयोजन अपेक्षित है। अतः इस कम में निम्नानुसार दिशानिर्देश जारी किए जाते है :–

1. सभी ग्राम पंचायतों में दिनांक 01.04.2020 के पश्चात महात्मा गाँधी नरेगा योजना में स्वीकृत अथवा पूर्व में स्वीकृत परन्तु उक्त तिथि पश्चात् पूर्ण हुए (Completed) सभी व्यक्तिगत लाभार्थी या सामुदायिक प्रकृति के संपादित समस्त कार्यो का समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) किया जाना है।

2. समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण दल में कुल 6 सदस्य (1 ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं 5 ग्राम संसाधन व्यक्ति) होगें। सामाजिक अंकेक्षण दल के उक्त सभी सदस्य, उस ग्राम पंचायत के निवासी नहीं होंगे जिसका सामाजिक अंकेक्षण उनके द्वारा किया जाएगा।

राज्य स्तर पर जारी की जानी वाली विज्ञप्ति के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी पूर्व वर्षो के इच्छुक प्रशिक्षित ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों (BRPs एवं VRPs) से सामाजिक अंकेक्षण कार्य सम्पादन करायेंगे।

पूर्व में प्रशिक्षित व्यक्ति (BRPs या VRPs) उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भारत निर्माण स्वयंसेवकों, ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षकों, स्वयं सहायता समूहों, युवा संगठनों एवं इसी प्रकार के ग्राम स्तर के अन्य संगठनों से समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण कराया जा सकेगा। ऐसे लोगों की सूचना प्रपत्र–7 में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) मुख्यालय को दी जावेगी। जिला परिषद् कार्यालय में कार्यरत प्रशिक्षण समन्वयक/पर्यवेक्षण समन्वयक, जिला स्तर पर जिला संसाधन व्यक्ति के रूप में पूर्व की भाँति कार्य करेंगे।

3. ग्राम पंचायत एवं लाईन विभागों सहित अन्य कार्यकारी एजेन्सियों द्वारा कराए गए कार्यों से संबंधित कार्यवार सूचनाएँ संलग्न परिशिष्ट–1 में एवं अन्य समस्त आवश्यक रिकॉर्ड की फोटो प्रतियाँ कार्यकम अधिकारी (मनरेगा) एवं विकास अधिकारी सामाजिक अंकेक्षण दलों को समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण से तीन दिवस पूर्व आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

ग्राम पंचायत, सभी उपलब्ध दस्तावेजों की फोटो प्रतियाँ जिनके अन्तर्गत मस्टररोल, बिल, वाऊचर, माप पुस्तिकाएँ, स्वीकृती आदेश की प्रतियां और अन्य सम्बन्धित लेखा बहियों और कागज – पत्र भी है, सामाजिक अंकेक्षण करने के प्रयोजन के लिए जॉच दल को उपलब्ध करायेगी। रिकार्ड के अनुसार मौके पर कार्य संपादित किये गये हैं ये सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण दल उचित जॉच करेंगे। ग्रामीणों, लाभान्वित परिवारों/व्यक्तियों से व्यक्तिगत सम्पर्क भी करेंगे। समस्त

आवश्यक रिकार्ड उपलब्ध कराए जाने हेतु संबंधित विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा जिम्मेदार होंगे।

4. समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण सुविधानुसार निकटवर्ती के गाँवों में ही करवाये जाने के प्रयास किये जावे क्योंकि अंकेक्षण दल को यात्रा व्यय देय नही है। साथ ही विकास अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण दल के सदस्य अपने मूल निवास वाली ग्राम पंचायत का अंकेक्षण नहीं करेंगे।

5. समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण रिपोर्ट संलग्न प्रपत्र (1 से 5 तक) में विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करवा कर पावती ली जावेगी। यदि सामाजिक अंकेक्षण भौतिक रिपोर्ट व्यक्तिशः दिया जाना व्यवहारिक ना हो तो अंकेक्षण कार्य पूर्ण होते ही आगामी कार्य दिवस को रजिस्टर्ड डाक से संबंधित विकास अधिकारी को भौतिक रिपोर्ट भिजवाने की जिम्मेदारी ब्लॉक ससाधन व्यक्ति की होगी। यह डाक व्यय ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के मानदेय भुगतान के साथ अतिरिक्त रूप से भुगतान किया जावेगा। इसके लिये डाक विभाग की मूल रसीद विकास अधिकारी को समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट के मानदेय दावे के साथ प्रस्तुत करनी होगी। इस रिपोर्ट को यथाशीघ्र E-mail id :- MIS.DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN पर ब्लॉक संसाधन व्यक्ति या अंकेक्षण दल द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) मुख्यालय को भेजी जावेगी जिसमें उनके मानदेय भुगतान का प्रपत्र भी E-mail किया जावेगा।

कोई भी रिपोर्ट सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) मुख्यालय को भौतिक रूप में (Hard copy में) नहीं भिजवायी जानी है। ये समस्त रिपोर्टस विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी के मनरेगा कार्यालय में संधारित की जावेगी।

इस हेतु सभी पंचायत समितियों मे एक नवीन पत्रावली खोली जावेगी जिसका नम्बर "पत्रावली संख्या प. 61(SSAAT)/जिले का नाम/पंचायत समिति का नाम/2020" रहेगा।

सामाजिक अंकेक्षण संबंधी समस्त पत्राचार इसी पत्रावली से किया जावेगा ताकि सारा रिकार्ड एक ही स्थान पर उपलब्ध रहें। यह पत्रावली समिति के उस लिपिक/कनिष्ठ लेखाकार/AAO-II के प्रभार में रहेगी जो अन्य अंकेक्षण संबंधी कार्य सम्पादन के लिये उत्तरदायी हैं।

6. सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा प्रत्येक कार्य की जांच की फोटो लिए जावेंगें (जिनमें फोटो की दिनांक तथा कार्य की Geo Location हों) तथा प्रस्तुत की जाने वाली भौतिक रिपोर्ट में पेपर पर प्रिन्ट आउट लेकर संलग्न किए जावेंगें तथा सोसायटी को e-mail से भेजे जाने वाली रिपोर्ट के साथ भी उक्त फोटोग्राफ्स ग्राम पंचायत का नाम अंकित कर भेजे जावेंगे। MIS Reporting बाबत् परिशिष्ट-3 अनुसार कार्यवाही की जानी है।

7. समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण दलों को मानदेय भुगतान अंकेक्षण रिपोर्ट सोसायटी के मेल एड्रेस पर प्राप्त हो जाने के बाद दावों की जाँच करके किया जावेगा । इस हेतु मानदेय भुगतान हेतु

दावे प्रपत्र संख्या 8 में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) को E-mail ID: DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN पर प्रेषित किया जावें। भुगतान प्रक्रिया बाबत् परिशिष्ट–2 के अनुसार कार्यवाही की जानी है।

भुगतान की दर निम्नानुसार रहेगी:–

(i) ब्लॉक संसाधन व्यक्ति को रूपये 500/– प्रति दिवस प्रति व्यक्ति

(ii) ग्राम संसाधन व्यक्तियों को रूपये 300/– प्रति दिवस प्रति व्यक्ति

8. अंकेक्षण रिर्पोटस/सूचनाओं के लिये विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा लोक सूचना अधिकारी घोषित किये जाते हैं जो आवश्यक होने पर सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उचित कार्यवाही करेंगे। इन रिर्पोटस में पायी गयी अनियमितताओं की समय पर अनुपालना करन/करवाने हेतु विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

9. संबंधित जिला कार्यक्रम समन्वयक अपने जिले हेतु सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) द्वारा जारी समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर अनुसार अंकेक्षण कार्य संपादित करायेगे प्राप्त सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट (नियमित सामाजिक अंकेक्षण Regular Social Aduit/ समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण Concurrent Social Aduit) की पूर्ण अनुपालना कराना, राशियों की वसूली कराना एवं दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों/जनप्रतिनिधियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करायेंगे।

अन्य सामान्य निर्देश :–

(i) समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण के दौरान कोविड–19 महामारी को देखते हुए प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन यथा फेसमास्क, सामाजिक दूरी, सेनेटाइजर आदि के निर्देशों की पालना की जावें।

(ii) यदि इन निर्देशों के जारी होने के पश्चात् किसी क्षेत्र में कोविड–19 की परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है तो स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों की पालना की जावेगी।

(iii) सभी सामाजिक अंकेक्षण दल सदस्य स्वयं, अन्य नागरिकों और महात्मा गाँधी नरेगा योजना के विभिन्न कार्यो पर लगे श्रमिकों/परिवारों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखेंगे।

(iv) सामाजिक अंकेक्षण दलों द्वारा योजना कार्यो की जांच के साथ साथ निम्न कार्य भी सम्पन्न किये जाने वांछित/अपेक्षित है:–

(अ) जॉब कार्ड के इच्छुक परिवारों का आवेदन भरने में एवं काम की मांग का आवेदन फॉर्म भरने में मजदूरों की सहायता करेंगे।

(ब) प्रवासी मजदूरों से संपर्क कर उनको जॉब कार्ड मुहैया कराने/काम उपलब्ध कराने और समय पर भुगतान करवाने में सहयोग करेंगे।

(स) इस प्रकिया में सभी टीम सुरक्षा संबंधित नियमों का पालन करेंगे और समुदाय को भी इस विषय पर जागरूक करेंगे।

(V) कार्य स्थल का निरीक्षण कर वहाँ कार्यरत श्रमिकों की सूचना एवं कार्य स्थल पर उपलब्ध सुविधाओं की वस्तुस्थिति योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार होने या ना होने की रिपोर्ट प्रपत्र–1 में प्रस्तुत करेंगे। गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं को रिपोर्ट में मुख्य पत्र में अंकित कर समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण द्वारा निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण को E-mail ID: MIS.DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN पर प्रेषित किया जावेगा।

संलग्नः– परिशिष्ट–1 से 3 एवं प्रपत्र–1 से 8 तक

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ 61(110) SSAAT/Conc.SA Calendar/20-21/ 2019–43 जयपुर दिनांक 03-12-2020
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव., माननीय मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, विभाग राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके निर्देश पत्रांक M-11015/03/2020-RE-III (371554) दिनांक 15.07.2020 के क्रम में सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि आपके अंकेक्षण दलों के सदस्यों को इस कार्य में सहभागिता निभाने एवं प्राप्त परिणाम से इस कार्यालय को भी सूचित कराने की व्यवस्था हेतु निर्देश प्रदान करावें।
6. निजी सचिव, आयुक्त,ईजीएस।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं सदस्य सचिव, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRD & PR), हैदराबाद को सूचनार्थ प्रेषित हैं। साथ ही निवेदन है कि नवीन संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रकिया विचाराधीन चल रही है, जिनकी उचित प्रशिक्षण व्यवस्था किये जाने बाबत पत्रांक 1227–31 दिनांक 21.08.2020 भेजा गया है।
9. निदेशक, इन्दिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (IGRD& PRS), जयपुर।
10. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भी सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि आगामी समय में आपकी योजना (NSAP) का भी सामाजिक अंकेक्षण किये जाने की उपयुक्त तैयारियाँ सुनिश्चित करावें।

11. मिशन निदेशक, राजीविका को प्रेषित कर आग्रह है कि आपके विभाग द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के सदस्यों को सामाजिक अंकेक्षण कार्य बाबत् उचित दिशा निर्देश जारी कराने का श्रम करावें।
12. अतिरिक्त आयुक्त प्रथम/द्वितीय ईजीएस।
13. निजी सचिव, निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर
14. परियोजना निदेशक/प्रभारी अधिकारी प्रधान मंत्री आवास योजना– ग्रामीण (PMAY-G), स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM-G), चौदहवां वित्त आयोग (FFC), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) वास्ते सूचनार्थ एवं आपकी योजना का भी सामाजिक अंकेक्षण कराने हेतु तैयारियाँ कराने बाबत्।
15. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को पालनार्थ।
16. परियोजना अधिकारी (लेखा) जिला परिषद, समस्त।
17. कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त को पालनार्थ।
18. प्रशिक्षण समन्वयक/आई.ई.सी. (I.E.C.) समन्वयक/सुपरवाइजर/ समन्वयक, जिला परिषद् समस्त।
19. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण बाबत समाचारों के प्रकाशन की व्यवस्था करावें ताकि जन मानस तैयार हो सके।
20. कार्यालयाध्यक्ष, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यो की रिपोर्ट्स प्राप्ति और तत्पश्चात सोसायटी में प्रचलित नियमानुसार उपयुक्त भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित करावें।
21. आहरण वितरण अधिकारी, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि समस्त भुगतान व्यवस्था समय पर एवं सुचारू रूप से होना सुनिश्चित करावें एवं भुगतान की स्वीकृतियां मनरेगा राजस्थान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावे ताकि उसकी सूचना प्राप्तकर्ताओं को सके।
22. सहायक लेखाधिकारी, I, II सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) समस्त को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) की समस्त व्यवस्था को अपने आवंटित जिलों में कराया जाना सुनिश्चित करावें और रिपोर्टस नियमित रूप से प्राप्त करवाने, भारत सरकार को वांछित सूचनाएं समय पर भिजवाने और ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों को समय पर भुगतान कराना सुनिश्चित करावें।
23. प्रोग्रामर, सूचना सहायक को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण की उपयुक्त MIS Reporting व्यवस्था सुनिश्चित करें। प्राप्त रिपोर्टस की नियमित रूप से वांछित सूचना भारत सरकार को भिजवाना, भुगतान व्यवस्था एवं अन्य समस्त आवश्यक सूचनाओं का नियमित रूप से website पर publication सुनिश्चित करावें, साथ ही सामाजिक अंकेक्षण संबंधि समस्त सूचनाओं का उपयुक्त रूप से सुरक्षित संरक्षण (SAVE) करवाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करावे।
24. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग/मनरेगा/पंचायती राज विभाग को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपकी विभागीय website पर "SSAAT" के नाम से स्पष्ट आइकोन/लिंक उपलब्ध करावें जहाँ सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) से संबंधित समस्त आदेश, निर्देश, आडिट प्रोग्राम, भुगतान संबंधी सूचनाएँ आदि संबंधित पक्षकारान एवं आम जन के हितार्थ स्थायी रूप से उपलब्ध रहे।
25. समस्त अधिकारी/कर्मचारी गण (SSAAT) को पालनार्थ।
26. रक्षित पत्रावली ।

9/12/2020

(रामावतार शर्मा)
निदेशक,
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं
पारदर्शिता सोसायटी(SSAAT)

परिशिष्ट–1

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण दल को सूचना उपलब्ध कराए जाने का प्रपत्र

(अवधि..................... से ....तक)

कार्य का नाम	कोड नंबर	स्वीकृत राशि			व्यय राशि प्रारम्भ होने से अब तक			व्यय की गई सामग्री का विवरण	कार्य की वर्तमान स्थिति
		श्रम	सामग्री	कुल	श्रम	सामग्री	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ग्राम विकास अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

ग्राम पंचायत ....

पंचायत समिति ....

जिला ....

(रामावतार शर्मा)
निदेशक
सामाजिक अंकेक्षण

परिशिष्ट–2

ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों के पंजीयन एवं भुगतान बाबत् निर्देश

समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण कार्य संपादित करने के इच्छुक/पूर्व प्रशिक्षित ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों का चयन जिला/पंचायत समिति स्तर पर उपयुक्त रीति से किया जाना है। आपके पास उपलब्ध पूर्व वर्षो के संसाधन व्यक्तियों से सामाजिक अंकेक्षण कार्य कराया जाना हैं। संसाधन व्यक्तियों द्वारा अपना पंजीयन कराने हेतु परिशिष्ट–3 में वर्णित समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण के लिए संसाधन व्यक्तियों का पंजीयन https://forms.gle/eyAjq397DzQ6Mru27 (Registeration Resource Persons for Concurrent Social Audit) के नाम से लिंक पर जाकर प्रेषित करनी हैं।

आप द्वारा प्राथमिकता से प्रशिक्षित ब्लॉक / ग्राम संसाधन व्यक्तियों को सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित किया जावेगा और आवश्यकता होने पर अप्रशिक्षित इच्छुक लोगों से भी यह कार्य विकास अधिकारी द्वारा कराया जा सकेगा।

जिन ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों द्वारा समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण कार्य संपादित किया जावेगा, उनके मानदेय भुगतान संबंधित दावे विकास अधिकारी द्वारा भी प्रपत्र–8 में और समवर्ती सामाजिक अंकेक्षकण रिपोर्ट सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT), जयपुर की E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN पर प्रेषित की जावेगी। इसके परीक्षण उपरान्त सोसायटी मुख्यालय, जयपुर से सभी दावों का भुगतान सीधे संसाधन व्यक्तियों के बैंक खातों में किया जावेगा। किये गये भुगतान की सूचना http://nrega.raj.nic.in की वेबसाईट पर देखा जा सकता है।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक

परिशिष्ट–3

MIS रिपोर्टिंग बाबत निर्देश

ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाईट http://rdprd.gov.in, पंचायती राज विभाग की वेबसाईट http://rajpanchayat.rajasthan.gov.in तथा राजस्थान नरेगा की वेबसाइट https://nrega.raj.nic.in सभी वेबसाईटस पर एक लिंक समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण की एम.आई.एस रिपोर्टिंग (MIS Reporting - Concurrent Social Audit) नाम से Link for Concurrent Social Audit Format - https://forms.gle/ahLZrQHMASLVX6rC9 उपलब्ध कराया गया है। जिसमें चयनित संसाधन व्यक्तियों द्वारा उनको आवंटित ग्राम पंचायत में मौके पर समस्त कार्यों का सत्यापन करके समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट ऑनलाइन भरी जानी है एवं इसके साथ ही ब्लॉक एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों के रजिस्ट्रेशन हेतु (Link for Registration of Block/Village Resource Persons) https://forms.gle/eyAjq397DzQ6MrU27 उपलब्ध कराया गया है जिस पर उनका रजिस्ट्रेशन किया जाकर भुगतान व्यवस्था कायम की जानी है।

समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) की पूर्ण रिपोर्ट (भौतिक रिपोर्ट) इन दिशानिर्देशों के अनुसार सम्बन्धित विकास अधिकारी कार्यलय में व्यक्तिशः अथवा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाना आवश्यक है। समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) रिपोर्ट में यदि कोई गम्भीर अनियमितताएं पायी जावें तो सामाजिक अंकेक्षण दल प्रभारी द्वारा ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (Block Resource Persons) उन्हे निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण (SSAAT), जयपुर को ई मेल mis.dir.socialaudit@rajasthan.gov.in से भिजवाया जावे।

इस रिपोर्ट में प्रपत्र 1 से 5 हैं जो समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण दल के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करके रिपोर्ट में प्रेषित किया जाना है। परन्तु MIS Reporting हेतु https://forms.gle/ahLZrQHMASLVX6rC9 लिंक पर जाकर किसी भी कम्प्यूटर सिस्टम अथवा मोबाईल के माध्यम से कॉलमवार सूचनाऐं इन्द्राज की जानी हैं।

9/12/2020
(रामावतार शर्मा)
निदेशक
8/12/2020 8/12/20

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी **(SSAAT)**, राजस्थान, जयपुर

(e-mail id:-Dir.socialaudit@rajasthan.gov.in)

प्रपत्र सं. 1

मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं का समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण

जिला : .... पंचायत समिति .... ग्राम पंचायत: ....

ग्राम पंचायत में कुल निबंधित परिवार: .... निबंधित मजदूर: .... सक्रिय मजदूर: ....

ग्राम पंचायत में चल रही योजनाओं की संख्या MIS के हिसाब से (जिसमें मस्टर रोल निकला गया है): .... मजदूर की संख्या: ....

1. पंचायत में वास्तविक रूप से संचालित योजनाओं की संख्या :............. कार्यरत मजदूर: ....

2. चल रहे कार्यों की कुल प्राक्कलन राशि : .... मजदूरी: .... सामग्री: ....

कार्यस्थल निरीक्षण से सम्बंधित प्रश्नावली (कॉलम संख्या 6 से 13 में जवाब हाँ/नहीं/आवश्यकता नहीं) में जवाब लिखना है '

दिनांक ....की स्थिति

क्र सं.	योजना का नाम (स्वीकृत कार्यो के नाम)	योजना संख्या	स्वीकृत मजदूरों की संख्या (मस्टर रोल अनुसार)	मौके पर उपस्थित मजदूरों की संख्या	पीने का पानी	शेड	दवा पेटी	क्रेम	मास्क	साबुन	कार्य में दूरी	योजना स्थल बोर्ड	कार्य की उपयोगिता के संबंध में टिप्पणी	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण दल के सदस्यों का नाम एवं हस्ताक्षर

ग्राम संसाधन व्यक्ति 1 2 3 4 5

(रामावतार शर्मा)
निदेशक

ब्लॉक संसाधन व्यक्ति

प्रपत्र सं. 2

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT), राजस्थान, जयपुर

(e-mail id:- Dir.socialaudit@rajasthan.gov.in)

मनरेगा में जॉब कार्ड नहीं मिलने वाले मजदूरों का विवरण

(उन्हीं मजदूरों का नाम लिखें जिनको जॉब कार्ड नहीं होने की समस्या है)

दिनांक .... की स्थिति

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	कुल सदस्य	आवेदन किया है (हॉं/नहीं)	पावती है (हॉं/नहीं)	पावती तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8

समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण दल के सदस्यों का नाम एवं हस्ताक्षर

ग्राम संसाधन व्यक्ति 1 2 3 4 5

ब्लॉक संसाधन व्यक्ति

(रामावतार शर्मा)
निदेशक
सामाजिक अंकेक्षण

प्रपत्र सं. 3

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी **(SSAAT)**, राजस्थान, जयपुर

(e-mail id:-Dir.socialaudit@rajasthan.gov.in)

मनरेगा में काम न मिलने वाले मजदूरों का विवरण

(उन्हीं मजदूरों का नाम लिखें जिनको काम नहीं मिलने की शिकायत है)

दिनांक.................. की स्थिति

क्रम सं.	नाम	पिता /पति का नाम	पता	जॉब कार्ड नंबर	आवेदन किया है (हाँ/नहीं)	पावती है (हाँ/नहीं)	कब से काम माँगा है
1	2	3	4	5	6	7	8

समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण दल के सदस्यों का नाम एवं हस्ताक्षर

ग्राम संसाधन व्यक्ति 1 2 3 4 5

ब्लॉक संसाधन व्यक्ति का नाम

(रामावतार शर्मा)
निदेशक
सामाजिक अंकेक्षण

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी **(SSAAT)**, राजस्थान, जयपुर

(e-mail id:- Dir.socialaudit@rajasthan.gov.in)

प्रपत्र सं. 4

मनरेगा में समय पर मजदूरी भुगतान न होने बाबत विवरण

(उन्हीं मजदूरों का नाम लिखें जिनको समय पर मजदूरी भुगतान की समस्या है)

दिनांक................ की स्थिति

क्रम सं.	नाम	पिता /पति का नाम	पता	जॉब कार्ड नंबर	कितने दिन काम किया	किस कार्य पर काम किया गया	क्या किये गये कार्य के पेटे कम भुगतान करने की शिकायत की गई है	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(रामावतार शर्मा)
निदेशक
सामाजिक अंकेक्षण

समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण दल के सदस्यों का नाम एवं हस्ताक्षर

ग्राम संसाधन व्यक्ति 1 2 3 4 5

ब्लॉक संसाधन व्यक्ति का नाम